न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 19/2019 दिनांक–15.10.2019

विजेन्द्र सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति राजपूत निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

–अप्रार्थी

वकील वादी : – श्री अमरसिंह शेखावत
वकील प्रति. :– राज. पैरोकार

<u>प्रार्थना पत्र : अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u>

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 29.11.2019

प्रार्थी/आवेदक द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम जाखल की सरहद में अवस्थित भूमि खाता संख्या 185 के खसरा नम्बर 1437/638/1.82, 830/0.63 हैक्टर अवस्थित है जिमसें आवेदक का 1/18 हिस्सा ओमपाल सिंह पुत्र बजरंग सिंह 1/18 हिस्सा कमल कंवर पुत्री सज्जन सिंह का 5/9 हिस्सा, तिजू कंवर पत्नी सज्जन सिंह का 5/9 हिस्सा, पृथ्वीसिह पुत्र सज्जन सिंह का हिस्सा 1/18, प्रहलाद सिंह पुत्र सज्जन सिंह का 1/18 हिस्सा, पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र सज्जन सिंह का 1/18 हिस्सा तथा शिम्भू सिंह पुत्र सज्जन सिंह का 1/18 हिस्सा है, इसी प्रकार कब्जा काश्त है, उपरोक्त सभी सज्जन सिंह के वारिसान है। राजस्व रिकार्ड में गलती से आवेदक विजेन्द्र सिंह का नाम विजेन्द्र सिंह के बजाय बिरजू सिंह पुत्र सज्जन सिंह दर्ज कर दिया गया, जिसके कारण से आवेदक किसान योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहा है इसलिये राजस्व रिकार्ड में बिरजू सिंह के स्थान पर विजेन्द्र सिंह शुद्धि करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेकद द्वारा अपनी कब्जे काश्त की स्वामित्व की जमाबन्दी हल्का पटवारी से नकल प्राप्त करने पर पता चला कि आवेदक का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज कर दिया गया है जबकि आवेदक का आधार कार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में विजेन्द्र सिंह पुत्र सज्जन सिंह के नाम समस्त रिकार्ड बने हुए है। आवेदक द्वारा ई–मित्र पर प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लाभ लेने के लिए गया तब राजस्व रिकार्ड की नकल दिनांक 1/10/2019 को प्राप्त करने पर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलती से वल्दीयत गलत दर्ज कर दी गई, जिसके कारण से किसान योजनाओं का लाभ लेने से

Scanned by CamScanner

वंचित होना पड़ रहा है इसलिये नाम शुद्धि हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। आवेदक व भूमि अदालत हाजा क्षेत्र में अवस्थित होने से अदालत हाजा को सुनवाई करने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस 2/– रूपये पेश किया है।

प्रार्थी/आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि आवेदक का नाम विजेन्द्र सिंह से हटाकर बिरजू सिंह गलत दर्ज कर दी गई, जिसकी शुद्धी बिरजू के बजाया विजेन्द्र सिंह शुद्धि करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदक की गई। अनावेदक राज पैरोकार तहसीलदार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर सहमति प्रदान की है कि ग्राम जाखल में आवेदक के नाम की जांच की गयी जिसमें प्रार्थी बिरजू सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति राजपूत का सही नाम विजेन्द्र सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति राजपूत निवासी है एवं इनके दस्तावेज आधारकार्ड, राशन कार्ड, में भी नाम विजेन्द्र सिंह पुत्र सज्जन सिह जाति राजपूत अंकित है। प्रार्थी का नाम बिरजू सिंह पुत्र सज्जन सिंह की बजाय विजेन्द्र सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति राजपूत किया जाना उचित अंकित किया गया है। अतः राज. पैरोकार की सहमति एवं पत्रावली में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अवलोन से प्रार्थी का सही नाम विजेन्द्र सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति राजपूत उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम जाखल की सरहद में अवस्थित भूमि खाता संख्या 185 के खसरा नम्बर 1437/638/1.82, 830/0.63 हैक्टर में प्रार्थी का नाम बिरजू सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति राजपूत के स्थान पर विजेन्द्र सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति राजपूत दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2019.12.01 16:51:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: